कार्यालय नगर पंचायत, बासुकिनाथ

इच्छा की अभिव्यक्ति(अतिअल्पकालीन)

सूचना संख्या-05/2018-19

नगर पंचायत, बासुकिनाथ अंतर्गत निम्नाकित कार्य हेतु व्यक्तियों/संवेदकों/फर्म से इच्छा की अभिव्यक्ति दिनांक 05-07-2018 को अपराह्न 03:00 बजे तक नगर पंचायत, बासुकिनाथ कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त आवेदनों को ई-प्रोक्योरमेंट समिति, नगर पंचायत, बासुकिनाथ के समक्ष दिनांक 06-07-2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आवेदकों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा। जिसमें आवेदक या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्यापक सफाई कार्य हेतु निर्धारित क्षेत्र	कार्यावधि	कार्य का मुल्य	अग्रधन(5%)
1	नगर पंचायत, बासुकिनाथ अंतर्गत श्रावणी मेला 2018 एवं भाद्रपद मेला 2018 के अवसर पर व्यापक सफाई कार्य।	मेला प्रभावित क्षेत्र (तीन Zones में विभक्त) तथा नगर पंचायत, बासुकिनाथ के सभी वार्ड(कुल-12 वार्ड)।	26-07-2018 से 25-10-2018 तक (कुल-93 दिन)	4756000/-	237800/-

(1) इच्छुक आवेदकों/संवेदकों/फर्म/एन0जी0ओ0 को आवेदन के साथ निर्धारित सुरक्षित राशि का बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बासुकिनाथ के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक की जरमुण्डी शाखा पर देय जमा करना अनिवार्य होगा।

(2) आवेदन के साथ आयकर पैन, अद्यतन एवं विगत 3 वर्षो का आयकर रिर्टन के साथ जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(3) सफाई के दौरान निकलने वाले कूड़े-कचरे का Disposal ट्रैक्टर द्वारा शहर से बाहर ठोस अपशिष्ट योजना हेतु चिंहित स्थल धरमपुर बोगली या आबादी रहित शहर से बाहरी स्थान पर करना होगा। यत्र-तत्र कूड़ा फेंकने पर 10 प्रतिशत जुर्माना किया जाएगा जो संवेदक को मान्य होगा।

(4) संपूर्ण अवधि में नगर पंचायत अंतर्गत आवंटित क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर लगाये गए कंटेनर के कचरे का Disposal करना संवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसके लिए कार्यालय से डम्फर प्लेसर सशुल्क दिया जाएगा परंतु डम्फर प्लेसर में ईंधन संवेदक को देना अनिवार्य होगा।

(5) कीटनाशक छिड़काव कार्य कार्यालय स्तर से कराया जाएगा, परंतु आवश्यकता पडने पर संवेदक को कार्यालय से छिड़काव सामग्री लेकर छिड़काव कराना अनिवार्य होगा एवं इसके लिए अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(6) संवेदक को आवंटित क्षेत्र में अवस्थित सभी सार्वजनिक यात्री शेड, रेफरल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस बल के ठहराव वाले सभी विद्यालय/स्थल, शौचालय, पेशाबखाना, अस्थायी शिविर एवं शौचालय, नाला, कल्भर्ट एवं सभी सार्वजनिक स्थानों आदि की नियमित सफाई कराना अनिवार्य होगा।

(7) सफाई की व्यवस्था तीन पालियों में अर्थात दिन में दो पाली एवं रात्री में एक पाली में समस्त क्षेत्रों में करना अनिवार्य होगा ।

(8) अपनी सफाई व्यवस्था की पूर्ण जानकारी समय-समय पर कार्यालय को लिखित रूप में देना अनिवार्य होगा ।

(9) अग्रिम भुगतान मान्य नहीं होगा ।

(10) सक्षम पदाधिकारी/निगरानी समिति द्वारा कार्य संतोषप्रद होने के प्रमाण पत्र पर ही 15 दिनों के अंतराल पर इच्छा की अभिव्यक्ति नियमों के अनुसार भुगतान किया जाएगा ।

(11) निर्धारित अवधि में सफाई व्यवस्था बाधित रहने/संतोषप्रद नहीं रहने की स्थिति में 20 प्रतिशत या अधिक राशि की कटौती की जायेगी ।

(12) प्रभावित मेला क्षेत्र की विस्तृत जानकारी इच्छा की अभिव्यक्ति डालने के पूर्व किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है ।

(13) EOI सशर्त मान्य नहीं होगी ।

(14) अधोहस्ताक्षरी/उच्चाधिकारी द्वारा सफाई व्यवस्था संबंधित समय-समय पर दिए गए अन्यान्य आदेशों का पालन करना अनिवार्य होग

(15) तिथि/समय में परिवर्तन करने या बिना कारण बताए EOI को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा ।

(16) विशेष जानकारी कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है ।

(17) संवेदक को अपने खर्च पर मेला क्षेत्र में लगाये गये सभी मजदूरों का फोटो युक्त परिचय पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा ।साथ ही सभी वार्डो एवं जोन में उपस्थिति पंजी संधारित करना होगा ताकि इसकी समुचित जाँच की जा सके ।

(18) सभी सफाई कार्य में लगाए गए मजदूरों का बायोमेट्रिक उपस्थिति संवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर दर्ज कराना अनिवार्य होगा । साथ ही सभी सफाई कर्मीयों को सभी तरह के सफाई उपकरण तथा विशेष पहचान हेतु यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

(19) सभी वांछित जोन में लगाये गये मजदूरों की सूची सूबह 8:00 बजे तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा । मजदूरों की अनुपस्थिति पर समरूप कटौती का प्रावधान होगा ।

(20) 10 प्रतिशत से ज्यादा नीचे दर अंकित करने पर EOI मान्य नहीं होगी ।

(21) EOI सादे कागज पर साफ-साफ अक्षरों में कार्ययोजना के साथ समर्पित करना होगा ।

(22) कार्यादेश निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अंदर वांछित श्रम अनुज्ञप्ति जमा करना अनिवार्य होगा ।

(23) कार्यावधि समाप्ति के पूर्व नगर पंचायत अंतर्गत अवस्थित सभी नालाओं की पूर्ण सफाई कराना अनिवार्य होगा अन्यथा विपत्र भुगतान नहीं किया जाएगा ।

(24) आपात स्थिति में कार्यपालक पदाधिकारी के निदेश पर 24 घंटे में किसी भी समय कम से कम 10 मजदूर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

(25) समय - समय पर नगर पंचायत, बासुकिनाथ कार्यालय द्वारा दिए गए आदेश को मानना अनिवार्य होगा ।

(26) प्रतिष्ठित सार्वजनिक प्रतिष्ठान/सरकारी संस्थान/धार्मिक संस्थान से सफाई कार्य का अनुभव प्राप्त आवेदकों/संवेदकों/फर्मो को कार्य के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी ।

(27) सफाई कार्य में प्रयोग होने वाले सभी प्रकार के सामग्री यथा हैंडट्रॉली, रिक्शा ट्रौली, ट्रैक्टर, पे-लोडर इत्यादि संवेदक के पास स्वयं का या लीज पर हाने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा ।

(28) श्रावणी मेला में कम से कम 300 मजदूर प्रतिदिन तथा अन्य माह में 60 मजदूर कार्य पर लगाना अनिवार्य होगा ।

(29) सफाई कार्य उपरोक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित स्थल के साथ - साथ पूरे नगर पंचायत, बासुकिनाथ के 12 वार्डो में किया जाना अनिवार्य होगा ।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, बासुकिनाथ ।
26/6/18